भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 461
(13 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राशि का पुनरीक्षण

461. श्री एम.बी. राजेशः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा निराश्रितों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के लाभों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं और उसके अंतर्गत पेंशन की राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वार्षिक आधर पर बढ़ती मुद्रास्फीति की तुलना में पेंशन की राशि में पुनरीक्षण का कोई तंत्र है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत चल रही पेंशन योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ईजीएनओएपीएस) -** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार से संबंधित 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपए तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (ईजीएनडब्ल्यूपीएस) -** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार से संबंधित 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (ईजीएनडीपीएस) -** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार से संबंधित 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग): मौजूदा योजना में पेंशन दरों में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एनएसएपी योजना दिशा-निर्देश टॉप-अप प्रदान करते हैं तथा अनेक राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों ने एनएसएपी पात्रता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान किए हैं। इसके अलावा, स्वीकार्य दरों तथा मानदण्डों में परिवर्तन के माध्यम से एनएसएपी योजना में सुधार करने के लिए सूचित निर्णय को लेने हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के व्यापक तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए कार्रवाई शुरू की है एवं योजना में सुधार करने के लिए अन्य कोई कार्रवाई सिफारिशों की उपलब्धता तथा उन पर राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों के साथ परामर्श के साथ लिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है।

*****